फा. सं. 1/131(26)/2023/आर.-VI

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती VI अनुभाग

अंतिम संवीक्षा	
पद का नाम	**वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में फोरमैन (धातुकर्म) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01) की भर्ती ।**
विज्ञापन संख्या	**18/2023**
रिक्ति सं.	**23091803623**

अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) :

क - शैक्षिक

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातुकर्म इंजीनियरी अथवा प्रौद्योगिकी में डिग्री **अथवा**

संगत क्षेत्र अर्थात् धातुकर्म में अभियंता संस्थान के सह-सदस्य (एएमआईई) (केवल वे छात्र पात्र होंगे जो 31.05.2013 तक स्थायी मान्यताप्राप्त वाले संस्थानों में नामांकित थे)

अथवा

संगत क्षेत्र अर्थात् धातुकर्म में भारतीय धातु संस्थान के सह-सदस्य (एएमआईआईएम) (केवल वे छात्र पात्र होंगे जो 31.05.2013 तक स्थायी मान्यताप्राप्त वाले संस्थानों में नामांकित थे)।

ख - अनुभव

किसी मान्यताप्राप्त संगठन से संगत क्षेत्र अर्थात् धातुकर्म में एक वर्ष का अनुभव।

उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाये गए मानदंड :

01 अनारक्षित रिक्ति के लिए	**अ यो (क) + अ यो (ख) बढ़ाकर 03 वर्ष किया गया**
(i) इस भर्ती मामले की संवीक्षा और शॉर्टलिस्ट करने का विवरण प्रारंभ में 27.06.2024 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। (ii) उम्मीदवारों को 06.07.2024 तक ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए एक विंडो प्रदान की गई थी। (iii) कुल 02 (दो) अभ्यावेदन प्राप्त हुए और उन सभी की जांच की गई। इन अभ्यावेदनों की स्थिति इस प्रकार है : (क) 01 उम्मीदवार की स्थिति यथावत रखी गई है। (ख) एक उम्मीदवार (रोल नं.-023) जिसे पहले 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया था, को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।	
उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई गई हैं : (i) संवीक्षा, केवल पद के लिए विज्ञापन में वर्णित शर्तों और पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं के अनुसार की गई है। (ii) संवीक्षा ऑन-लाइन की गई है पहले, उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन में प्रदान की गई सूचना / किए गए दावों के आधार पर कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सृजित की गई रिपोर्ट के आधार पर, और उसके बाद आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीक्षा के आधार पर, जो केवल ऐसे उम्मीदवारों के मामले में की गई, जिन्हें ऑन-लाइन आवेदनों में उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना तथा किए गए दावों के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया गया।	

(iii) उम्मीदवार, जिनके पास संगत अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है, उन्हें **"एल ई क्यू - क"** के रूप में अस्वीकृत कर दिया है। इसी तरह, यदि अनिवार्य अनुभव, पद के भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में नहीं है या संगत अनुभव आवश्यक अवधि से कम है, ऐसे उम्मीदवारों को **"एल ई क्यू-ख"** के तहत अस्वीकृत कर दिया गया।

(iv) चूंकि अनुभव मानदंड बढ़ा दिया गया है, इसलिए कुछ उम्मीदवारों को **"एलईसी"** श्रेणी के तहत अस्वीकृत कर दिया गया है।

(v) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री वाले उम्मीदवारों को अनुभव के लिए तीन वर्ष का क्रेडिट दिया गया है। छोड़े गए डॉक्टरेट कार्य को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(vi) प्रशिक्षण को तब तक अनुभव के लिए नहीं माना गया है जब तक कि उसके बाद उसी संगठन में नियोजन न हो।

(vii) प्रशिक्षु / एप्रेंटिस / स्टाइपेंड / फेलोशिप / ट्रेड सर्टिफिकेट / शिक्षण / इंटर्नशिप अवधि / अतिथि संकाय / अंशकालिक नौकरी / मानद / अवैतनिक नौकरी को अनुभव के लिए नहीं माना गया है।
जेआरएफ / एसआरएफ अनुभव पर विचार किया गया है।

(viii) नियुक्ति पत्र / प्रशंसा पत्र / वेतन पर्ची / स्थानांतरण या प्रोन्नति आदेश / कार्यालय आदेश / अहस्ताक्षरित या स्व-प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र / स्व-रोजगार अनुभव प्रमाण पत्र / अनुभव के अस्पष्ट प्रमाण पत्रों पर अनुभव के वैध प्रमाण के रूप में विचार नहीं किया गया है और इसे "अपूर्ण श्रेणी" के तहत खारिज कर दिया गया है।

(ix) कुछ उम्मीदवारों को एकाधिक श्रेणी के तहत अस्वीकृत किया जा सकता है। उन्हें सबसे उपयुक्त विचारित श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

(x) विज्ञापन के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमापत्रों पर विचार किया गया है। जहां कहीं भी उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत नहीं किए है, उनके अनुभव प्रमाण पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। लेकिन वे, जिन्होंने इसमें किसी अनुबंध का उल्लेख किया है और उसे जमा नहीं किया गया और कार्य की प्रकृति नहीं दर्शाने वाले अनुभव प्रमाणपत्र को अस्वीकार कर दिया गया है।

नोट: मानदंड मामला-दर-मामला आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

<u>अपनाए गए शॉर्टलिस्ट मानदंड :</u> अ.यो. (क) + अ.यो. (ख) को बढ़ाकर तीन वर्ष तक किया गया

<u>बुलाए जाने वाले</u>
अनुक्रमांक

006 007 013 017 023 027 031
033 034 035 037

(11 उम्मीदवार)

एल ई क्यू क
अनुक्रमांक 029 **(01 उम्मीदवार)**

एल ई क्यू ख
अनुक्रमांक 005 **(01 उम्मीदवार)**

एल ई सी
अनुक्रमांक 002 011 040 **(03 उम्मीदवार)**

अपूर्ण
अनुक्रमांक
001 014 016 018 019
021 030 **(07 उम्मीदवार)**

शेष सभी उम्मीदवारों को एल.ई.सी. श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि उनका दावा किया गया अनुभव, उपरोक्त मानदंडों से कम है।

(17 उम्मीदवार)

संकेतक:

(i) एल ई क्यू (क) - अनिवार्य योग्यता की कमी (शैक्षिक)

(ii) एल ई क्यू (ख) - अनिवार्य योग्यता की कमी (अनुभव)

(iii) एल ई सी - बढ़ाए गए मानदंड में कमी

इस पर आगे किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

अवर सचिव (भ. VI)

संघ लोक सेवा आयोग